

19-8-14  
बिचोली मर्दाना  
के समक्ष  
उत्तु  
33  
19-8-14

माननीय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R. 2677-PBR/14

किशोर पिता सूरजसिंह  
निवासी ग्राम बिचोली मर्दाना,  
तहसील एवं जिला इन्दौर म.प्र.

— — — प्रार्थी / प्रत्यार्थी

विरुद्ध

- (1) सुदामा पिता रामप्रसाद जी
  - (2) नंदकिशोर पिता रामचरण जी
  - (3) बालकिशान पिता रामचरण जी
- सभी निवासी ग्राम मुसाखेडी तहसील एवं  
जिला इन्दौर (म.प्र.)
- (4) श्रीमती दुर्गाबाई पति भागीरथ  
निवासी 121 न्यू मारुति नगर, बाणगंगा, इन्दौर म.प्र.

— — — प्रतिप्रार्थीगण / आवेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. 1959 के तहत ।

महोदय,

प्रार्थी का निवेदन है कि :-

- (1) यह कि, यह निगरानी माननीय तहसीलदार महोदय इन्दौर जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 94/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 27/06/2014 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर प्रार्थी यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष नियत समयवधि में योग्य मुद्रा पर प्रस्तुत करते हैं ।

Divakar Prasad  
Adv

19/8/14

19-8-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2677-पीबीआर/2014

जिला इंदौर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

15-07-15

आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित तथा अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाया जाकर नॉटप्रेस में समाप्त करने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार । आवेदक के निवेदन पर प्रकरण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।

  
2/12

  
अध्यक्ष